प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4231/2006

याचिकाकर्ता: ओम प्रकाश पाण्डेय

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: भारत संघ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 20.03.2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4231/2006

याचिकाकर्ता:

ओम प्रकाश पाण्डेय (अनुक्रमांक 1615118653), आयु लगभग 19 वर्ष, पिता श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निवासी क्वार्टर नं. 370, चक्रधर नगर, बंगला पारा, रायगढ़ (छत्तीसगढ़), द्वारा पिता नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु लगभग 50 वर्ष, पिता कमला प्रसाद पाण्डेय।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. भारत संघ, द्वारा रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. मण्डल रेल प्रबंधक, द.पू.म.रे. बिलासपुर (छ.ग.)।
3. सहायक कार्मिक प्रबंधक (भर्ती), द.पू.म.रे. बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका</u>

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री ए.एन. भक्ता, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण के लिए श्री अमित चौधरी, स्थायी अधिवक्ता।

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

<u>आदेश</u>

(दिनांक 20.03.2008 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता की पुन: परीक्षा आयोजित

करने का निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक रिट की मांग की है ताकि उसे ग्रुप 'डी' सेवाओं में लिया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए जांच करने और याचिकाकर्ता को बुलावा पत्र न भेजने के लिए क्षतिपूर्ति का संदाय करने की मांग की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य, संक्षेप में यह हैं कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (संक्षेप में 'द.पू.म.रे.') में ग्रुप 'डी' पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे (अनुलग्नक आर/1)। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह विधिवत अर्हता प्राप्त है। इसके लिए लिखित परीक्षा दिनांक 21.05.2006 को आयोजित की जानी थी। याचिकाकर्ता को परीक्षा की तिथि से पूर्व डाक द्वारा बुलावा पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार, याचिकाकर्ता परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका और उसने द.पू.म.रे. में ग्रुप 'डी' कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने का महत्वपूर्ण अवसर खो दिया। अतएव, यह याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एन. भक्ता ने तर्क दिया कि यह उत्तरवादी प्राधिकारियों का दायित्व था कि वे यह सुनिश्चित करें कि बुलावा पत्र समय से पूर्व अभ्यर्थी तक पहुँचे। उत्तरवादी प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण बुलावा पत्र प्राप्त न होने से याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में भाग लेने से और आगे पद पर नियुक्त होने से वंचित रह गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री भक्ता ने आगे तर्क दिया कि बुलावा पत्र 'अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट' (संक्षेप में 'यू.पी.सी.') के तहत भेजा गया था और विधि की दृष्टि में, यू.पी.सी. के माध्यम से तामीली कोई तामीली नहीं है। श्री भक्ता आगे यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपना मोबाइल और लैंडलाइन नंबर दिया था इसके बावजूद, बुलावा पत्र जारी होने के संबंध में याचिकाकर्ता को सूचित/संसूचित नहीं किया गया।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित चौधरी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को बुलावा पत्र विधिवत प्रेषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादीगण ने समाचार पत्र (नवभारत) दिनांक 14.04.2006 (अनुलग्नक आर/2) में नोटिस प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि यदि किसी अभ्यर्थी को बुलावा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह एक विशेष तिथि से पूर्व कार्यालय से बुलावा पत्र की दूसरी प्रति (डुप्लिकेट) प्राप्त कर सकता है। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग की एक वेबसाइट भी प्रकाशित की गई थी। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था। इसके बावजूद, जब याचिकाकर्ता को बुलावा पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो याचिकाकर्ता को निर्धारित तिथि से पूर्व कार्यालय से संपर्क करना चाहिए था और वह बुलावा पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. श्री चौधरी ने आगे तर्क दिया कि विज्ञापन के अनुसरण में कुल 6,35,000 बुलावा पत्र जारी किए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों को डाक विलंब के कारण प्राप्त नहीं हुए होंगे और उसके लिए उत्तरवादीगण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है जैसा कि उसके द्वारा प्रार्थना की गई है क्योंकि याचिकाकर्ता बुलावा पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने और परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहा है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिरोधी तर्कों को सुना है, अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है। यह स्पष्ट है कि विज्ञापन दिनांक 19.11.2005 (अनुलग्नक आर/1) के अनुसरण में, 6,35,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता सहित 6,35,000 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजे। अधिवक्ता ने मूल प्रेषण रजिस्टर (डिस्पैच रजिस्टर) प्रस्तुत किया है और यह पाया गया कि याचिकाकर्ता को बुलावा पत्र समय पर जारी किया गया था। यदि याचिकाकर्ता को बुलावा पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, तो बुलावा पत्र की दूसरी प्रति एकत्र करने और स्थिति की जांच करने के लिए समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन किया गया था, साथ ही उत्तरवादीगण की एक वेबसाइट भी प्रकाशित की गई थी। याचिकाकर्ता परीक्षा में उपस्थित होने में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विफल रहा और इस प्रकार, याचिकाकर्ता इस याचिका में मांगे गए किसी भी अनुतोष का दावा नहीं कर सकता।

8. श्री भक्ता द्वारा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 27 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114(**f**) के उपबंध का अवलंब याचिकाकर्ता के लिए सर्वथा उपयोगी नहीं होगा क्योंकि विज्ञापन में अभ्यर्थियों को आवेदन भी साधारण डाक से भेजने की आवश्यकता थी।

9. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 27 इस प्रकार है:

> "**27. डाक द्वारा तामील का अर्थ**-जहां कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई [केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम किसी दस्तावेज की डाक द्वारा तामील की जानी प्राधिकृत या अपेक्षित करता है चाहे "तामील" अथवा "देना" या "भेजना", इन दोनों में से किसी भी पद का अथवा किसी अन्य पद का उपयोग किया गया हो वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो उस दस्तावेज को अन्तर्विष्ट रखने वाले पत्र उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा डाक में भेजने से तामील हुई समझी जाएगी और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह समझा जाएगा कि तामील उस समय हो चुकी है जब वह पत्र डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त हो जाता।"

10. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 27 के तहत उपधारणा यह है कि यदि नोटिस साधारण डाक द्वारा भेजा गया है, तो उपधारणा खंडन योग्य है और जब नोटिस रजिस्ट्रीकृत डाक के तहत भेजा गया है, तो नोटिस/संसूचना की प्राप्ति के संबंध में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ विरुद्ध दीनानाथ शांताराम कारेकर**[1] के प्रकरण में निम्नानुसार निर्धारित किया:

> "7. जैसा कि उस निर्णय के परिशीलन से प्रतीत होता है, "संसूचना" और न कि "वास्तविक तामीली" के संबंध में विधि उस आदेश के संदर्भ में निर्धारित की गई थी जिसके द्वारा सेवाएँ समाप्त की गई थीं। यह **पंजाब राज्य विरुद्ध खेमी राम**, **बछित्तर सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य**, **पंजाब राज्य विरुद्ध अमर सिंह हरिका** और **एस. प्रताप सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य** के प्रकरणों के पिछले निर्णयों के विचार पर आधारित था। **एस. प्रताप सिंह** के निर्णय से निम्नलिखित अंश उद्धृत किया गया था:
>
> 'यह देखा जाएगा कि हमारे सामने उद्धृत सभी निर्णयों में आक्षेपित आदेश की संसूचना को ही अनिवार्य माना गया था न कि संबंधित अधिकारी द्वारा उसकी वास्तविक प्राप्ति और ऐसी संसूचना इसलिए आवश्यक मानी गई थी क्योंकि जब तक आदेश जारी नहीं किया जाता और संबंधित व्यक्ति को वास्तव में भेजा नहीं जाता, तब तक आदेश देने वाला प्राधिकारी अपना मन बदलने और यदि वह उचित समझे तो उसमें संशोधन करने की स्थिति में होगा। लेकिन एक बार जब ऐसा आदेश भेज दिया जाता है, तो यह ऐसे प्राधिकारी के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, और इसलिए इसके मन बदलने या संशोधन करने की कोई संभावना नहीं होगी। हमारे विचार में, एक बार जब कोई आदेश जारी कर दिया जाता है और संबंधित शासकीय सेवक को भेज दिया जाता है तो यह माना जाना चाहिए कि उसे संसूचित कर दिया गया है, चाहे वह उसे वास्तव में कभी भी प्राप्त हुआ हो।'
>
> 8. इसी पृष्ठभूमि में उन मामलों में जहाँ सेवाएँ समाप्त की जाती हैं या किसी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त किया जाता है, आदेश की संसूचना और न कि उसकी वास्तविक तामीली को पर्याप्त माना गया था..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 1998 (7) SCC 569

12. उच्चतम न्यायालय ने **वी. राजा कुमार विरुद्ध पी. सुब्बारामा नायडू एवं अन्य**[2] के प्रकरण में निम्नानुसार निर्धारित किया:

"13. यहाँ नोटिस इस टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुआ है कि पाने वाला नहीं मिला और न कि इनकार के रूप में। क्या तामीली की उपधारणा के संबंध में दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर होगा? इस संबंध में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 27 का संदर्भ उपयोगी होगा। धारा इस प्रकार है:

'27. डाक द्वारा तामील का अर्थ-जहां कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई केन्द्रीय अधिनियम या विनियम किसी दस्तावेज की डाक द्वारा तामील की जानी प्राधिकृत या अपेक्षित करता है चाहे "तामील" अथवा "देना" या "भेजना", इन दोनों में से किसी भी पद का अथवा किसी अन्य पद का उपयोग किया गया हो वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो उस दस्तावेज को अन्तर्विष्ट रखने वाले पत्र उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा डाक में भेजने से तामील हुई समझी जाएगी और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह समझा जाएगा कि तामील उस समय हो चुकी है जब वह पत्र डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त हो जाता।

14. निस्संदेह अधिनियम की धारा 138 के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नोटिस केवल "डाक" द्वारा ही दिया जाना चाहिए। फिर भी धारा 27 (ऊपर उद्धृत) में शामिल सिद्धांत को उस मामले में लाभप्रद रूप से आयात किया जा सकता है जहाँ प्रेषक ने उस पर लिखे सही पते के साथ डाक द्वारा नोटिस भेजा है। तब इसे प्राप्तकर्ता पर तामील हो गया है, ऐसा माना जा सकता है जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि यह वास्तव में तामील नहीं हुआ था और वह ऐसी गैर-तामीली के लिए जिम्मेदार नहीं था। कोई भी अन्य व्याख्या एक बहुत ही कमजोर स्थिति की ओर ले जा

2 2004 (8) SCC 774

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकती है क्योंकि चेक का लेखक जो राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, सफलतापूर्वक नोटिस से बचकर छल की रणनीति का सहारा लेगा।"

13. श्री भक्ता द्वारा **सी.सी. अलावी हाजी विरुद्ध पालपेटी मोहम्मद एवं अन्य**[3] के प्रकरण पर लिया गया अवलंब किसी काम का नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के परंतुक (ख) के संदर्भ में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नोटिस जारी करने के मुद्दे पर विचार किया है।

14. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 27 में "नोटिस" शब्द, सख्ती से कहें तो, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, जहाँ 6,35,000 से अधिक बुलावा पत्र जारी किए गए थे। बुलावा पत्र जारी करने के अलावा, अभ्यर्थियों को व्यापक रूप से प्रकाशित समाचार पत्र 'नवभारत' में एक सार्वजनिक नोटिस द्वारा सूचित किया गया था, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि यदि अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे एक विशेष तिथि तक कार्यालय से बुलावा पत्र की दूसरी प्रति एकत्र कर सकते हैं। मामले की स्थिति जानने के लिए उत्तरवादी की वेबसाइट भी प्रदान की गई थी। डाक का विलंब याचिकाकर्ता को कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकता।

15. याचिकाकर्ता इस तथ्य का खंडन करने की स्थिति में नहीं है कि बुलावा पत्र जारी ही नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने बुलावा पत्र वाले लिफाफे के

3 2007 (6) SCC 555

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साथ बुलावा पत्र (अनुलग्नक पी/3) संलग्न किया है। लिफाफे के परिशीलन से प्रतीत होता है कि बुलावा पत्र दिनांक 12.04.2006 को प्रेषित किया गया था और याचिकाकर्ता को दिनांक 24.05.2006 को प्राप्त हुआ था। बुलावा पत्र काफी पहले जारी कर दिया गया था।

16. मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, एक बार जब नोटिस जारी कर दिया जाता है और संबंधित अभ्यर्थी को भेज दिया जाता है, तो उसे उसे संसूचित माना जाना चाहिए, चाहे वह उसे वास्तव में कभी भी प्राप्त हुआ हो। दिनांक 21.05.2006 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए बुलावा पत्र दिनांक 12.04.2006 को प्रेषित किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को बुलावा पत्र प्राप्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उत्तरवादीगण का डाक अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को समाचार पत्र के माध्यम से उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए बुलावा पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में बुलावा पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए नोटिस दिया गया था। याचिकाकर्ता ने बुलावा पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करके आवश्यक कार्रवाई नहीं की है।

17. ऊपर उल्लिखित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, याचिका खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur